न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर खण्डपीठ इन्दौर

के समक्ष निगरानी 203-PBR-15

कैलाश पिता अम्बाराम

निवासी– निहालपुर मुण्डी तह. व जिला इन्दौर ——निगरानीकर्ता

श्री टी.टी. गुप्ता (एड.) द्वारा आज दि. 24/01/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती गौरीबाई पति बद्रीलाल

निवासी– ग्राम भैसलाय तह. महू जिला इन्दौर म.प्र.

2. श्रीमती छगनबाई उर्फ राजुबाई पति सीताराम

निवासी– ग्राम दर्जी कराड़िया तह. सॉवेर जिला इन्दौर म.प्र.

3. श्रीमती चंदाबाई पति स्व. मांगीलाल

निवासी– सिद्धीपुरम कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड़ इन्दौर म.प्र.

4. श्रीमती मुन्नीबाई पति महेश

निवासी– ग्राम रतवाय तह. व जिला धार म.प्र.

5. बालमुकुंद पिता सेवाराम

निवासी– ग्राम पिपल्दा तह. व जिला इन्दौर म.प्र. ——रेस्पांडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी के अपील क्रं. 7/अपील/13–14 प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 26/12/2014 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 203– PBR / 15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26–12–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रश्नाधीन संपत्ति पैतृक होना प्रतीत होती है, उभय पक्ष को निर्देशित किया गया कि अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व प्रश्नाधीन संपत्ति पैतृक अथवा स्वअर्जित होने संबंधी दस्तावेज मय वंश वृक्ष के प्रस्तुत करें, साथ ही हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया कि राजस्व अभिलेख अनुसार प्रश्नाधीन संपत्ति पैतृक अथवा स्वअर्जित होने के तदाशय का स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो सके । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त अंतरिम आदेश में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	